

**कार्यालय प्रधानमुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर।**

क्रमांक: एफ.3(1)2011 / कार्मिक / से.नि. / प्रमुवसं-01991 दिनांक : ह. तिथि

**संशोधन आदेश**

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ 3(1)2011 / कार्मिक / से.नि. / प्रमुवसं-पार्ट-ट / रा.कानं. 14067041 दिनांक 09.03.2025 में, उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वन बल प्रमुख) राज. जयपुर के पत्रांक 14088837 दिनांक 10.03.2025 द्वारा वांछित संशोधन अनुरूप के क्रम में क्र०सं० 11 व 12 पर कॉलम संख्या 3 में अंकित पद, निजी सहायक के स्थान पर निजी सचिव का आंशिक संशोधन किया जाता है।

आदेश दिनांक 15.3.2024 की अन्य शर्तें यथावत लागू रहेगी।

(अरिजित बनर्जी)  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
(वन बल प्रमुख)  
राजस्थान, जयपुर  
दिनांक : ह. तिथि

क्रमांक एफ.3(1)2011 / कार्मिक / से.नि. / प्रमुवसं / पार्ट-ट /

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. निदेशक, पेंशनविभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वन बल प्रमुख) राज. जयपुर।
3. कोषाधिकारी, कोषालय, जयपुर।
4. उप वन संरक्षक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी को विभागीय वेबसाइटपर प्रकाशन करने हेतु।
5. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा एवं श्री सुनील कुमार शर्मा, निजी सचिव।
6. प्रभारी जांच / गोपनीय / कार्मिक (मंत्रालयिक) अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. रक्षित पत्रावली।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
(वन बल प्रमुख)  
राजस्थान, जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Arijit Banerjee  
Designation : Principal Chief  
Conservator Of Forest  
Date: 2025.03.22 14:54:35 IST  
Reason: Approved



पता- कमरा नं. ए-401, अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004  
फोन नं.-0141-2713808, E-Mail id- [dcfnz.estt.forest@rajasthan.gov.in/](mailto:dcfnz.estt.forest@rajasthan.gov.in/)

## कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ.3(1)2011 / कार्मिक / से.नि. / प्रमुवसं / पार्ट-V /

दिनांक : – As per sign

### :: कार्यालय आदेश ::-

राजस्थान सेवा नियम, 1951 के उप नियम-56 एवं शासन सचिव, वित्त विभाग (नियम अनुभाग), जयपुर के परिपत्र क्रमांक पं.1 (6)वित्त/नियम/98 दिनांक 24.05.2004 के अनुसरण में विभाग में कार्यरत निम्नांकित मंत्रालयिक कार्मिकों द्वारा 60 वर्ष (अवधि दिनांक 02.03.2025 से 31.03.2026 तक) की अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने के फलस्वरूप उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक (कॉलम संख्या-5) को मध्यान पश्चात में राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किये जाने के आदेश एतद् द्वारा जारी किये जाते हैं:-

क्र. सं.	नाम लोकसेवक/पिता/पत्नी/पति (सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री)	पदनाम	जन्मतिथि	सेवानिवृत्तितिथि
1.	मेहराज खॉ कुरैशी/मोहम्मदजहूर	संस्थापन अधिकारी	09.10.1965	31.10.2025
2.	महेन्द्र कुमार शर्मा/रामनिवास शर्मा	संस्थापन अधिकारी	21.04.1965	30.04.2025
3.	राजेश कुमार शर्मा/गणेशीलाल	संस्थापन अधिकारी	29.08.1965	31.08.2025
4.	मोहन लाल वर्मा/छोटे लाल	संस्थापन अधिकारी	10.12.1965	31.12.2025
5.	प्रकाश चंद जैन/किरोड़ी मल जैन	प्रशासनिक अधिकारी	01.07.1965	30.06.2025
6.	विजय कुमार शर्मा/वृद्धि चंद शर्मा	प्रशासनिक अधिकारी	15.10.1965	31.10.2025
7.	सुबोध दाधीच/माल चंद दायमा	प्रशासनिक अधिकारी	02.01.1966	31.01.2026
8.	उमेश सिंह /हरि सिंह	प्रशासनिक अधिकारी	10.09.1965	30.09.2025
9.	अनिल कुमार गोयल/रामस्वरूप गोयल	प्रशासनिक अधिकारी	25.06.1965	30.06.2025
10.	मोती लाल परेवा/रामधन परेवा	प्रशासनिक अधिकारी	02.04.1965	30.04.2025
11.	सुनील कुमार शर्मा/काशी राम शर्मा	निजि सहायक	12.10.1965	31.10.2025
12.	राजेन्द्र कुमार शर्मा/मगन लाल शर्मा	निजि सहायक	02.05.1965	31.05.2025
13.	मनोज कुमार/बाबूलाल	अति.प्रशासनिक अधिकारी	15.06.1965	30.06.2025

वित्त विभाग (नियम) अनुभाग, जयपुर के परिपत्र क्रमांक प. 12(6)वित्त/नियम/ 2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त मंत्रालयिक कार्मिकों के विरुद्ध आज तक :-

पता-कमरानं. ए-401, अरण्य भवन, झालानासंस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

फोननं.-0141-2713808, E-Mail id- [dcfnz.estt.forest@rajasthan.gov.in/](mailto:dcfnz.estt.forest@rajasthan.gov.in)

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लम्बित नहीं हैं।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं हैं।

यह स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दिये गये किसी प्रकार के ऋण शेष नहीं होने एवं कार्मिकों के राजकीय आवास में अधिवासित होने की स्थिति में, उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि से दो माह की अवधि में राजकीय आवास रिक्त कराने की शर्त पर जारी की जाती है। उक्त कार्मिकों के पेंशन परिलाभों के नियमानुसार भुगतान में विलम्ब की स्थिति के लिए कार्यालयाध्यक्ष उत्तरदायी होगा।

(अरिजित बनर्जी)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

(वन बल प्रमुख)

राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ.3(1)2011 / कार्मिक / से.नि. / प्रमुवसं / पार्ट-V /

दिनांक : As per sign

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव, प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर / प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्यआयोजना एवं वन बन्दोबस्त, राजस्थान, जयपुर / मुख्य वन संरक्षक, अजमेर / बीकानेर / जोधपुर / वनसंरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, सरिस्का बाघ परियोजना, अलवर /
3. उप वनसंरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक कार्यालय हाजा / बांसवाड़ा को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश के जारी होने के पश्चात सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के विरुद्ध कोई विभागीय जांच लम्बित / प्रस्तावित अथवा ऐसी स्थिति हो जो पेंशन को प्रभावित करती हो, तो अविलम्ब इसकी सूचना संबंधित पेंशन कार्यालय तथा इस विभाग को भिजवावे जिससे उचित कार्यवाही की जा सके।
4. कोषाधिकारी कोषालय, जयपुर / बांसवाड़ा / जोधपुर / बीकानेर / अजमेर / अलवर

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

(वन बल प्रमुख)

राजस्थान, जयपुर